




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK64505649319109S
Certificate Issued Date	:	25-Feb-2020 03:03 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1263304/ JOSHIMATH/ UK-CM
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK126330431720924679821S
Purchased by	:	AMARDEV SEMWAL
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	AMARDEV SEMWAL
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	AMARDEV SEMWAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Trilok Singh Bhatt
Stamp Duty No. 10, 100-04
Tehsil-Joshimath (Chamoli)



Please write or type below this line.....

—:शपथ पत्र :—

समक्ष:- जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद चमोली।

मैं अमरदेव सेमवाल पुत्र श्री बासवानंद सेमवाल, निवासी औली, जोशीमठ तहसील जोशीमठ जिला चमोली, शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ कि -

1- यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है।

ATTESTED
G.S. NEGI
ADVOCATE-NOTARY
JOSHIMATH

कमश.....

Statutory Alert:


1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.ahcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.


- 2- यह कि मैं अपने आवासीय भवन स्थित पता औली जिला चमोली, के उपयोग के अतिरिक्त कक्ष (कक्षों की संख्या) को अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण करने के इच्छुक हूँ।
- 3- यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा स्वयं का है जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगड़ा विवाद नहीं है।
- 4- यह है कि मेरे/ हमारे भवन का मानचित्र अनुमोदन/ भवन निम्नण के सम्बन्ध में कोई वाद नहीं है अथवा भवन प्राधिकरण/स्थानीय निकायों के गठन से पूर्व का निर्मित है, जिस कारण मानचित्र नहीं है/ स्वीकृत नहीं है। भवन हैरिटेज दृष्टि से पर्यटकों हेतु उपयोगी है। उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं/हम इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होऊंगी/होगे। ऐसी स्थिति में मेरा/हमारा इस योजनान्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।
- 5- यह कि मेरे/हमारे द्वारा अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली -2015 (प्रथम संशोधन नियमावली- 2016) तथा समय-समय पर किये गये प्राविधानों /नियमों/उप नियमों/शर्तों को भली भाँति पढ़ लिया गया है, जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।

घोषणा

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठ पाया जाय तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। ऐसी स्थिति में मेरी/हमारी होगी। ऐसी स्थिति में मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त किया जाने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आज दिनांक को मैं/ हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथ पत्र की सभी शर्तें सही व सत्य होना कबूल करती हूँ/करते हैं।

ATTESTED

 G.S. NEGI
 ADVOCATE-NOTARY
 JOSHIMATH
 NO. 18/23/2017



नाम तथा हस्ताक्षर शपथकर्ता